यू॰पी॰ बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/89/2018 **दिनांक :** 31.07.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

आईबीए के साथ द्विपक्षीय वार्ता

आईबीए तथा यूएफबीयू के मध्य द्विपक्षीय वार्ता का एक और दौर कल दिनांक 30.07.2018 को मुम्बई में सम्पन्न हुआ। इस बैठक में हुई चर्चा के विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय ने अपना परिपत्र संख्या 28/68/2018/31 दिनांक 30.07.2018 जारी किया है जिसका अनूदित सार आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

आईबीए के साथ द्विपक्षीय वार्ता

आईबीए तथा यूएफबीयू के मध्य मुम्बई में आज द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। आईबीए की टीम का नेतृत्व श्री आर.के. टक्कर (प्रबंध निदेशक, यूको बैंक), नेगोशिएटिंग कमेटी के चेयरमैन द्वारा किया गया। यूएफबीयू का प्रतिनिधित्व सभी घटक यूनियनों द्वारा किया गया।

चर्चा का सारांश : आईबीए ने वेतन बिल में पहले के 2% से 6% की वृद्धि तक अपने प्रस्ताव में संशोधन तथा सुधार किया। हमने उनके संशोधित प्रस्ताव का स्वागत किया लेकिन उन्हें सूचित किया कि यह हमें स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह हमारी अपेक्षाओं के करीब कहीं भी नहीं है। हमने आईबीए से आगामी चर्चाओं के माध्यम से पर्याप्त स्तर तक अपने प्रस्ताव को बढ़ाने का आग्रह किया।

नए वेतनमान के निर्धारण के लिए **महंगाई भत्ते के विलय के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक** को तय करने की हमारी माँग पर, आईबीए ने कहा कि इसे बैठक के अगले दौर में लिया जा सकता है।

जारी पृष्ठ 2

हमने माँग की कि **खंडित अधिकार–पत्र का मुद्दा** तथा वेतन समझौते में स्केल VII तक के सभी अधिकारियों को शामिल करने के मुद्दे को हल किया जाना चाहिए और आईबीए से सम्बन्धित बैंकों के साथ इस मामले को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया।

हमें पता चला कि **ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स** में, प्रबंधन ने **पूर्ण अधिकार–पत्र देने के लिए** सहमत होकर मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का **निर्णय लिया है।**

5 दिवसीय बैंकिंग की शुरूआत तथा सभी शनिवार और रविवार को साप्ताहिक छुट्टियों की हमारी माँग के संबंध में, आईबीए हमारी माँग पर प्रतिक्रिया के लिए और समय चाहता था क्योंकि इस मामले में उच्च अधिकारियों/अन्य हितधारकों के साथ परामर्श शामिल था।

चिकित्सा बीमा योजना के नवीनीकरण के मुद्दे पर, आईबीए ने सूचित किया कि प्रीमियम पर संशोधित लागत का विवरण सेवारत कर्मचारियों के साथ–साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों दोनों के लिए यूआईआईसी से प्राप्त हो चुका है और इस मुद्दे पर 8 अगस्त, 2018 को एक विशेष बैठक में यूएफबीयू के साथ चर्चा की जाएगी।

हमने इंगित किया कि गैर–वित्तीय मुद्दों पर लघु समिति में अब तक चर्चा किए गए मुद्दों को स्पष्ट और सुनिश्चित किया जाना चाहिए और शेष मुद्दों को हल किया जाना चाहिए। आईबीए ने सहमति दी कि **लघु समिति की बैठक का अगला दौर 18 अगस्त, 2018** को पूर्वाह्न में अधिकारी संगठनों के साथ तथा अपराह्न में कामगार यूनियनों के साथ आयोजित किया जायेगा।

यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी चर्चा आयोजित करने तथा बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए **अगस्त, 2018 के अन्तिम सप्ताह** में **नेगोशिएटिंग कमेटी की बैठक का अगला दौर** आयोजित किया जायेगा।

अभिवादन सहित,

आपका साथी
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री